मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3897

24.03.2025 को उत्तर के लिए

वन संबंधी कानूनों में संशोधन

3897. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिकार समूहों ने वन संबंधी कानूनों में संशोधन करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान वन संघर्ष समूहों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मांगों में से स्वीकृत और अस्वीकृत मांगों का ब्यौरा क्या है और अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वनों और उनकी जैव-विविधताओं के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करने सहित वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों के संवर्धन के लिए 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' को 'वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु जिनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, को वन अधिकार एवं वन भूमि पर व्यवसाय के लिए मान्यता एवं अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के नाते, ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्शिकाएं जारी की हैं।

****